डिगरी व मुकदमे हब्तादाई
(आ 2 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–खेरवाडा, जिला–उदयपुर (राज.) व इजलास – सत्य नारायण –I (RAS)

श्रीमति अटुदेवी पति महावीर प्रसाद मीणा जाति– भीणा ,निवासी – कटेवडी, तहसील– खेरवाडा जिला– उदयपुर (राज.) ।

बनाम

श्री जीवतराम मीणा पिता मोहनलाल मीणा जाति –मीणा, निवासी– कटेवडी, खेरवाडा, तहसील– खेरवाडा, जिला– उदयपुर (राज.)।

क.स.1 से 03 तक।

दावा– वाद बाबत् , निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राज. रि. एक्ट ।

मुकदमा नम्बर –43/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु– हमारे

मिनजानिब मुददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

कि वादीयां का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टिनेंसी एक्ट का स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय कि निषेधाज्ञा जारी कि जाती है कि मौजा कटेवडी के आ.न. 1322/24 रकबा 1.11 हैक्टर कृषि भूमि के किसी भी भू भाग पर अतिक्रमण नही करे न ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करवाये न ही वादीयां कि खडी फसल व घास मेड,पाली, डोली व पेडो आदि को किसी प्रकार का नुकसान पहुचावे न ही भूमि खुर्द बुर्द करे न ही उसके उपयोग– उपभोग में किसी प्रकार कि बाधा उत्पन्न करे न ही उक्त कृत्य अपने परिजनो, नौकरो, मजदुरो व ऐजेण्टो से करावे । डिकी पर्चा अलग से जारी हो।

मुबलिग – ––
शहर– ––
अदा करें।

बाबत् –– खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व फसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसुलीणबी तक – का

बसब्त मेरे दस्तखत व मूहर अदालत से आज तारीख 23 माह 05 सन् 2025 को जारी की गई।

दस्तखत – Satya...
ओहदा – सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी खेरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)

मुदई रुपया पैसा		मुदायता रुपया पैसा	
स्टाम्प अरजी दावा	= 5:00 /–	स्टाम्प अरजी वकालत नामा	= –/ –
स्टाम्प वकालतनामा	= 2:00 /–	स्टाम्प अरजी	= – / –
स्टाम्प वजह सबुत		स्टाम्प वजह सबुत	
महनताना वकील (फा.)		महनताना वकील (फा.)	
बाबत इजराय हुक्मनामा		बाबत इजराय हुक्मनामा	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
फीस कमिश्नर		फीस कमिश्नर	
मुतफरिक	= 2:00 /–	मुतफरिक	= –/ –
मीलान :–	9:00 /–	मीजान :–	= – /–

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, खेरवाडा
जिला–उदयपुर(राज0)

निर्णय द्वारा पीठासीन अधिकारी — श्री सत्य नारायण– I (RAS)
प्रकरण संख्या– 43/22 रा0 वा0 — दायर दिनांक–06.10.2022
निर्णय दिनांक–23.05.2025

1.श्रीमति अटु देवी पति महावीर प्रसाद मीणा निवासी कटेवडी तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर राज0।

–वादीयां–

बनाम

1 जीवतराम मीणा मोहनलाल मीणा निवासी कटेवडी तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर राज0।

2 मोहनलाल पिता हकरा निवासी कटेवडी तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर राज0।

3 बसन्ति देवी पत्नि पुनाराम निवासी कटेवडी तहसील खेरवाडा जिला उदयपुर राज0।

–– प्रतिवादीगण––

उपस्थित : 1. श्री विवेक कन्सारा , अधिवक्ता वादीयां ।

वाद बाबत् निषेघाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राज. रि. एक्ट

–:निर्णयः–

वादियां के वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा कटेवडी पटवार मण्डल बडला की जमाबंदी संवत 2073 से 207 के खाता नम्बर नया 2 पराना 202 की आराजी नम्बर 1322/24 रकबा 1. 11 हेक्टर कृषि भूमि वादीयां के कब्जे काश्त की है। उपरोक्त वर्णित आराजी वादियां द्वारा दिनांक 25/10/2017 की जरिये पंजीकृत विक्रय– पत्र उसमे पुर्वाधिकारी पप्पुलाल पिता दोलतराम उर्फ हांजाराम मीणा श्रीमति लाली देवी पत्नि दोलतराम उर्फ हांजाराम मीणा निवासी कटेवडी से क्रय कर मोके पर कब्जा प्राप्त किया गया था। खरीदा उस समय से मालिकाना हक से वादीयां काबिज काश्त है। है तथा तब से उपयोग– उपभोग करते आ रहे है वाद वर्णित भूमि के चारो तरफ थुअर की बाड लगी हुई है। उक्त भूमि पहाडीनुमा होने से घास व मक्की की फसल पैदा होती है उक्त भूमिसे सटमा प्रतिवादीगण के संयुक्त खाते की कृषि भूमि है। भूमि पास मे होने से प्रतिवादीगण के मन मे बद नियति उत्पन्न है तथा वे वादीगण की उक्त वर्णित आराजी पर जबरन हडप लेने व वादीयां को बेदखल कर देने की मन्शा से माह मई 2022 मे जबरन जे.सी.बी. से समतल कराने का प्रयास किया जिसकी जानकारी वादीया व उसके परिजनो ने विरोध कर पुलिस थाना में कार्यवाही कर काम रूकवाया । इससे पुर्व भी प्रतिवादीगण द्वारा विवाद करने पर उक्त आराजी की सीमा जानकारी कराई जाकर मौका पर्चा बनाया जिसमे स्वंय प्रतिवादीगण मौजुद थे लेकिन उनके बदनियति उत्पन्न होने से जबरन अतिक्रमण करने पर आमादा है जबकी उन्हे कोई अधिकार नही है। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 19/9/2022 को पुनः वादीया की उक्त आराजी मे अनाधिकृत रूप से प्रवेश होकर पक्का निमार्ण कार्य करने हेतु मजुदर लगाकर नींव की खुदाई करने का प्रयास किया गया जिसका विरोध वादींया व उनके परिजनो द्वारा करने पर प्रतिवादीगण द्वारा हमारे साथ गाली गलोच की एंव मरने मारने पर उतारू हो गये । इसलिए प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह दावा लाया गया है। ऐसी स्थिति मे प्रतिवादीगण के विरूद्ध

Scanned with OKEN Scanner

इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराया जाना आवश्यक हो गया है । प्रतिवादीगण को जरीये स्थाई निषेधाज्ञा नही रोका गया तो वादीयां को अपुणीर्य क्षति होगी जिसकी पुर्ति किसी भी रूप में कराया जाना सम्भव नही होगा । वाद कारण मई 2022 में प्रतिवादीगण द्वारा जबरन जे.सी.बी. से समतलीकरण करने व दिनाक 19/9/2022 को अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर पक्का निमार्ण कार्य करने हेतु नीव खुदाई करने का प्रयास करने पर उत्पन हुआ है तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया है ।

वादीयां का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये सम्मन रजिस्टर्ड डाक से तलब किया गया लेकिन प्रतिवादीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में ली गई। तथा वादियां ने शहादत के रूप में स्वंय का शपथ–पत्र पेश किया है एवं दस्तावेज साक्ष्य में विक्रय–पत्र कि नकल छाया प्रति प्रदर्श 2A है।मौजा कटेवडी कि जमाबन्दी 2075 से 2078 के खता न. 2/202 प्रदर्श 1 A है। मौका पर्चा प्रदर्श 3 व छाया प्रति 3 A है। फोटोग्राफी प्रदर्श 4, 5, 6 है। नक्शा ट्रेस प्रदर्श 7 है। मोका पर्चा पटवारी बडला प्रदर्श 8 पेश किये है । वादीयां व उनके अधिवक्ता और कोई साक्ष्य सबूत पेश नही करना चाहते है इसलिये वादीयां की साक्ष्य बन्द की गई।

हमने विद्वान अधिवक्ता कि एक पक्षीय बीय सुनी गई। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वाद वर्णित कृषि भूमि वादीयां द्वारा दिनांक 25.10.2017 को जरीये पंजीकृत विक्रय पत्र से पूर्वाधिकारी श्री पप्पुलाल व लाली देवी से क्रय की है जिसका राजस्व रेकार्ड में भी वादींयां का खातेदारी हक से अकंन है। वादग्रसत भूमि से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध नही है न ही किसी प्रकार का हक हिस्सा है होता तो न्यायालय द्वारा सम्मन एवं नोटिसो से तलब किया गया था वह अवश्य उपस्थित होकर अपना अधिकार अथवा आपत्ति पेश कर सकते थे लेकिन बावजूद सूचना उपस्थित नही होना अपने आप में यह साबित होता है कि उक्त वाद वर्णित भूमि से इनका कोई सम्बन्ध नही है । लेकिन जबरन अतिक्रमण के जरीये हडपना चाहते हैं। वादीयां का वाद शहादत सबूत से सिद्ध होता है एंसी स्थिति में वादीया वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतित होता है।

–::आदेश::–

अतः वादीयां का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टिनेंसी एक्ट का स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय कि निषेधाज्ञा जारी कि जाती है कि मौजा कटेवडी के आ.न. 1322/24 रकबा 1.11 हैक्टर कृषि भूमि के किसी भी भू भाग पर अतिक्रमण नही करे न ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करवाये न ही वादीयां कि खडी फसल व घास मेड,पाली, डोली व पेडो आदि को किसी प्रकारका नुकसान पहुचावे न ही भूमि खुर्द बुर्द करे न ही उसके उपयोग– उपभोग में किसी प्रकार कि बाधा उत्पन्न करे न ही उक्त कृत्य अपने परिजनो, नौकरो, मजदुरो व ऐजेण्टो से करावे । डिक्री पर्चा अलग से जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम कि जावें। निर्णय आज दिनांक 23.05.2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खेरवाडा जिला– उदयपुर (राज0)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खेरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner